देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित
www.page3news.in
नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 69 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत व्यक्ति

देहरादून, बुधवार, 10 जून 2020

पेज थ्री

मौसम अधिकतम 36.0⁰ न्यूनतम 24.0⁰

34370.58

2 कोरोना पर न्यूजीलैंड ने पाई जीत

7 आज के क्रिकेट में फिट नहीं बैठ पाता

उत्तराखंड सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका

हाईकोर्ट ने किया पूर्व मुख्यमंत्री फैसिलिटी एक्ट 2019 को असंवैधानिक घोषित

बाजार दर में किसी ने जमा नहीं किया बकाया

संवाददाता

देहरादून। हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए उत्तराखंड सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पूर्व सीएम को सुविधा पर खर्च माफ करने के सरकार के मई 2019 में पारित अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है।

याचिकाकर्ता रूलक संस्था के अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता वकील ने बताया कि कोर्ट ने अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या समानता के अधिकत का उल्लंघन करार दिया है। अधिनियम धारा सात के प्रावधान को भी गलत करार दिया है। जिसमें सरकार ने पिछले फैसले के प्रावधान को लागू नहीं करने का निर्णय लिया था।

कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के प्रावधान शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 202 से 207 का भी उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पूर्व सीएम को सुविधाओं का बकाया बाजार दर भुगतान करना होगा। सरकार को इसके लिए कार्रवाई करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में दी गई सभी सुविधाओं के लिए खर्च किए गए धन की गणना करने के लिए के लिए भी सरकार को उत्तरदायी बनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने 23 मार्च को मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया है।

भले ही पूर्व सीएम डॉ. निशंक व विजय बहुगुणा ने किराया जमा करने की बात कही हो, मगर यह किराया बाजार दर के हिसाब से नहीं जमा किया गया है। पिछले दिनों इस मामले में दाखिल हलफनामे में सरकार घिर गई थी।

अध्यादेश का हुआ चौतरफा विरोध

हाईकोर्ट में जब सरकार तथ्यों और तर्कों के आधार पर हार गई तो फिर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोशियारी के लिए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया माफ करने और सुविधाएं जारी रखने के लिए अध्यादेश ले आए। कैबिनेट में गुपचुप निर्णय करके अध्यादेश को मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया था। जब यह बात खुली तो चौतरफा विरोध शुरू हो गया। इसके बाद सरकार ने यू-टर्न लेते हुए राज्यपाल के यहां गया हुआ अध्यादेश वापस मंगाया तथा इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाएं मात्र 31 मार्च 2019 तक जारी रखी जाने का प्रावधान जोड़ दिया।

हाईकोर्ट ने दी थी चेतावनी

पिछले दिनों त्रिवेंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को भविष्य में दी जाने वाली सुविधाओं से हाथ पीछे खींच लिए। हालांकि उन पर जो बकाया शेष था, वह भी माफ कर दिया जाएगा। रूलक सामाजिक संस्था के चेयर पर्सन अवधेश कौशल द्वारा हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के खिलाफ एक जनहित याचिका डाली गई थी, इसमें हाईकोर्ट में इन सुविधाओं पर तत्काल रोक लगाने और पूर्व मुख्यमंत्रियों से अब तक का बकाया वसूलने के आदेश जारी किए थे। इस फैसले के खिलाफ पूर्व सीएम व महारोष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा हाई कोर्ट चले गए थे किंतु हाईकोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें पुराना बकाया चुकाने का आदेश जारी रखा।

संक्षिप्त समाचार

ज्योतिरादित्य और उनकी मां अस्पताल को कोरोना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माधवी राजे सिंधिया को गले में खराश की शिकायत है। साथ ही उन्हें बुखार भी है। जिससे प्रतीत हो रहा है कि कोविड-19 के लक्षण हैं। सिंधिया और उनकी मां का कोरोना टेस्ट हुआ है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक उनका कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं आई है।

अब जम्मू-कश्मीर में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

दिल्ली। दिल्ली के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में मंगलवार सुबह करीब सवा आठ बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप में अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, भूकंप का केंद्र श्रीनगर शहर से 14 किलोमीटर दूर गांदरबल के पास था।

भारत से बातचीत को बेकरार नेपाल, कहा दूसरा रास्ता नहीं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

काठमांडू। चीन के प्रभाव में आकर अलग रास्ते पर निकले नेपाल के कदम लौटते दिख रहे हैं। नए नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब वह बातचीत की मेज पर आने लगा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि हम सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

अब 22 से 25 जून तक होगी बोर्ड की परीक्षायें

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं के तिथियों में बदलाव किया है और अब यह परीक्षायें 22 जून से 25 जून तक होगी।

यहां जारी एक बयान में शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पूर्व बदले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है। जिसके मुताबिक अब परीक्षाएं 22 से 25 जून तक होंगी।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संशोधित कार्यक्रम जारी करने के साथ ही बताया कि परीक्षा केंद्रों में मास्क पहनना, सेनिटाईजर की व्यवस्था के साथ ही फिजिक्ल डिस्टेंस को बनाया जाएगा।

बता दें कि लॉकडाउन की वजह से हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई थी लेकिन अब राज्य सरकार ने इस दिशा में जरूरी दिशा निर्देश दिये है।

■शिक्षा सचिव ने बोर्ड परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया

लद्दाख में तीन इलाकों से पीछे हटे चीनी सैनिक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध पर सियासी पारा चढ़ ही रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से खुशखबरी मिलने लगी है। भारत और चीन के सैनिक पूर्व लद्दाख के तीन अलग-अलग क्षेत्रों से अपने-अपने इलाके में पीछे हट गए हैं। इस सप्ताह होने वाली सैन्य बातचीत से पहले दोनों देशों की तरफ से हुई इस पहल से एक महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी तनाव के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत और चीन की सेना के बीच इस सप्ताह पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया समेत लद्दाख के कई अलग-अलग जगहों पर मीटिंग होने वाली है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी है। चीन की सेना गलवान वैली, पेट्रोलिंग पॉइंट-15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया से 2-2.5 किमी पीछे हट चुकी है। सूत्रों ने कहा कि यह 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की हुई बातचीत और आने वाली मीटिंग का असर है।

15 दिन में घर भेजे जाएंगे सारे प्रवासी: सुको

प्रवासियों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले होंगे वापस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। अपने घर जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य्य सरकारों के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि सभी प्रवासियों को मंगलवार को से 15 दिनों के भीतर वापस भेज दिया जाएगा।

प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण के माध्यम से पहचाना जाएगा। सुको ने कहा कि खंडपीठ पहचान, पंजीकरण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश दे रही है। उसने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासियों को रोजगार देने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करने को भी कहा है।

इससे पहले, 5 जून को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि तब तक प्रवासी श्रमिकों के लिए 4,000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। उसी दिन दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी लगभग दो लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश वापस जाने के इच्छुक नहीं हैं।

जैन ने कहा, 10,000 से भी कम मजदूरों ने वापस जाने की इच्छा जताई है।

लिस्ट बनाकर करें रोजगार का इंतजाम

अदालत ने कहा कि राज्यों की तरफ से श्रमिक ट्रेनों की डिमांड आने के बाद, केंद्र सरकार को 24 घंटे के भीतर अतिरिक्त ट्रेनें देनी चाहिए। सुको ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए स्ट्रीमलाइन्ड तरीके से एक लिस्ष्ट तैयार करने को कहा है। उन्हें मिलने वाली रोजगार सहायता मैप होनी चाहिए और स्किल-मैपिंग भी की जाए। अदालत ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत प्रवासियों के खिलाफ दर्ज लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के मामले वापस लिए जाएंगे।

'कोरोना एक्सप्रेस' बनेगी ममता के एग्जिट का कारण

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के दौरान ममता पर साधा निशाना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के दौरान ममता बनर्जी श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि आपने इस ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहा। आपने जो ये नाम दिया है, वो आपके एग्जिट का कारण बनेगी। आपने प्रवासी कामगारों का अपमान किया है, आपने उनके घावों में नमक रगड़ने का काम किया है और वे इसे नहीं भूलेंगे। शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के दौरान ममता बनर्जी पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा अयुष्मान भारत योजना, राजनीतिक हिंसा, नागरिकता संशोधन कानून समेत कई अहम मुद्दों पर निशाना साधा।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in